

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(129)वित्त-1(1)अव.प्र./2018

जयपुर, दिनांक : 30/08/2020

— आदेश —

प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की खीबूति क्रमांक एफ.8/बजट/सीटीएडी (PWD)/2018-19 खीबूति संख्या 121/2019-20 दिनांक 27.03.2020 राशि रु 38.40 लाख (अठ्ठे रुपये अड़तीस लाख चालीस हजार मात्र) की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्नांकित बजट राशि से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घेषित किया जाता है—

क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि रु. (लाखों में)
1.	मांग संख्या-30 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 798-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (20)-जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.) [32]-सडक एवं पुलिस 17-बृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	38.40

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। इसके अंक मिलान का दायित्व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का होगा।

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु घेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संबंधित लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) कृपया विभाग को राशि उपलब्ध करावे।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)